भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 621

22 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

एफपीएस के डीलरों की आर्थिक व्यवहार्यता

621. श्री शफी परम्बिल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उनके माध्यम से जन पोषण केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) जैसी योजनाओं को शामिल करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में उचित दर दुकान डीलर संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर खाद्यान्न खरीदने में सक्षम बनाने के लिए उचित दर दुकानों के माध्यम से खुली बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत चावल और गेहूं बेचने का कोई प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ मिलकर उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबंधन कौशल प्रदान किए हैं। इस सहयोग के तहत, एनआईईएसबीयूडी (एमएसडीई के अधीन एक स्वायत्त संस्थान) ने एफपीएस डीलरों के लिए डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, ई-कॉमर्स, खुदरा प्रबंधन एवं मूल-भूत पोषण को शामिल करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है।

...2/-

अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार सहित नौ राज्यों में लगभग 325 एफपीएस डीलरों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप, हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर सहित पांच शहरों में 90 एफपीएस आउटलेट जन पोषण केंद्रों (जेपीके) में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और सामुदायिक पहुंच में सुधार हुआ है।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, जन औषधि केंद्र (जेएके) नामक विशेष केंद्र देश भर में खोले गए हैं। ये केंद्र ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 50% से 80% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कमी आती है।

सरकार ने जन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए फ्रेंचाइज़ी मॉडल अपनाया है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, समितियों, ट्रस्ट, फर्मों, निजी कंपनियों आदि से www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, जिसके पास स्वयं डी. फार्मा. या बी. फार्मा. की योग्यता हो, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति या संगठन जिसने इस योग्यता वाले व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया हो ताकि संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से औषधि (ड्रग) लाइसेंस प्राप्त किया जा सके, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्र है।

उचित दर दुकानों के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (ङ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं से अधिक अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएमएसएस (डी)] के तहत खुले बाजार में बेचा जाता है। ओएमएमएसएस (डी) के तहत, भारत आटा और भारत चावल क्रमशः दिनांक 6.11.2023 और 6.02.2024 को शुरू किए गए थे, जिनका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध कराना था। ये वस्तुएं आम जनता को केवल एनएएफईडी/एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार के अपने स्टोर/मोबाइल वैन और/या ई-कॉमर्स/बड़े खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से बेची जाती हैं।
